छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक–A एकात्म पथ,सेक्टर–24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)

ईमेल– **secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063**

//अधिसूचना//

अटल नगर, दिनांक 02/03/2020

क्रमांक 105/48/03/04/योजना/बीओसी/2020 छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा **"मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना"** की अधिसूचना क्र0 43 दिनांक 05.03.2016 के कण्डिका **"ब" योजना हेतु पात्रता मे निम्नानुसार संशोधन** करती है :–

(ब) <u>योजना हेतु पात्रता</u> :–

(i) मंडल में पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक हो।

(ii) पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक की पंजीयन की अवधि 90 दिन पूर्ण हो चुकी हो।

(iii) मंडल की मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टेलरिंग ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो अथवा राज्य शासन के किसी विभाग, उपक्रम, मंडल, निगम अथवा राज्य शासन से मान्यता प्राप्त संस्थान से टेलरिंग ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

(iv) राज्य शासन द्वारा संचालित किसी सामान्तर योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन अथवा सिलाई मशीन के मूल्य के बराबर राशि प्राप्त न किया हो।

(v) मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत सायकल या उसके मूल्य के बराबर राशि प्राप्त करने वाली पंजीकृत निर्माण श्रमिक अपात्र होंगी।

(छ0ग0 शासन, श्रम विभाग के अनुमोदन से जारी)

(राजेश कुमार पात्रे)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृ0क्र0/42/01/04/योजना/बीओसी/2020 612–626 **अटल नगर दिनांक** 02/03/2020

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (श्रम विभाग) मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।

निरंतर.................2

4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, व्दितीय तल, खण्ड–03, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
5. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
6. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
7. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0)।
8. समस्त जिला कलेक्टर, ...(छ0ग0)।
9. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय ....(छ0ग0)।
10. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ....(छ0ग0)।
11. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
12. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित् कर लेख है कि कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
13. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
14. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर **तत्काल** वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
15. गार्ड फाईल।

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
पी0 एसी0, 244–245, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर–27, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 05/03/2016

क्रमांक 43 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" के अधिसूचना क्रमांक 29, दिनांक 01–06–2013 में पंजीकृत हितग्राहियों के लिए **"मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना"** में निम्नानुसार संशोधन अंतःस्थापित करती है:–

(ब) योजना हेतु पात्रता–

(ii) मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना में प्रशिक्षित पंजीकृत महिलाएं जो 18 से 50 वर्ष की आयु समूह की, हो को प्रशिक्षण उपरान्त मंडल द्वारा सिलाई मशीन प्रदाय किया जावेगा।

5/3/2016

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

पृ0क्र0/2016/11499–11505 नया रायपुर, दिनांक 05/3/2016

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, (BOCWWB) छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त सह सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय रायपुर (छ0ग0)
4. कलेक्टर, जिला .... (छ0ग0)
5. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी.................... (छ0ग0)
7. आदेश पत्रिका में संकलनार्थ प्रस्तुत।

5/3/2016

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

M.K. Raut, I.A.S.
Additional Chief Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नया रायपुर-492002
Government of Chhattisgarh
Labour Deptt.
Mantralaya, Mahanadi Bhawan
New Raipur - 492002
Ph.No. : 0771-2234110, 2510266 (O)
0771-2331067 (R)
Fax : 0771-2221266
E-mail : mkraut84@yahoo.com, rautmk@ias.nic.in

150

D.O. No. : BOC/ACS-L/126
Date : 1/10/2014

विषय–मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित करने बाबत् ।

प्रिय श्री,

विषयान्तर्गत श्रम विभाग के छत्तीसगढ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा 35–60 वर्ष आयु समूह के पंजीकृत महिलाओं को मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना के तहत लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है । यह निर्णय लिया गया है कि योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर संबंधित हितग्राहियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये तथा प्रशिक्षण के दौरान ही उन्हें "मुख्यमंत्री सिलाई मशीन योजना" का लाभ दिया जावे ।

अतः छत्तीसगढ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत " मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना" का लाभ उपरोक्तानुसार दिया जाना सुनिश्चित करें।

सप्रेम

भवदीय

(एम.के.राउत) 1/10

श्री.....................
कलेक्टर
जिला–................................. (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

(1591)

पृष्ठांकन क्रं0/भ0सकक0मं/2014/3579 रायपुर दिनांक 07/10/14

प्रतिलिपि – सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी.................................. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सविता मिश्रा)
सचिव,
छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर

Scanned by CamScanner

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

माता गैरेज के पीछे, जयभोले काम्प्लेक्स के सामने, पंडरी रायपुर

अधिसूचना

दिनांक 27/11/12

क्रमांक 13 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" के अधिसूचना क्रमांक एफ 10–30/2010/16, रायपुर, दिनांक 01.10.2010 में हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना में निम्नांकित संशोधन अंतःस्थापित करती है :–

मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना :–

(ब) योजना हेतु पात्रता :–

(ii) पंजीकृत महिला श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष आयु समूह की हो।

स्वीकृति का अधिकार :–

(i) पात्रता की जांच उपरांत क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के उप संचालक/सहायक संचालक/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदन अनुशंसा सहित स्वीकृति किया जावेगा

(ii) विलोपित ।

उपरोक्त अधिसूचना, दिनांक 25.11.2010 से भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील होगा।

(छ0ग0 शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल

पृ0क0 / /

रायपुर, दिनांक 27/11/

प्रतिलिपि :—

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी .... (छ0ग0)
7. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .... (छ0ग0)
8. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर
... गैरेज के पीछे, जय भोले काम्प्लेक्स के सामने आशीर्वाद भवन पंडरी रायपुर
फोन नं0–0771–2420032

अधिसूचना

दिनांक 27/11/12

...मांक/2012/ 11 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियम) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजनाएँ बनाती है :–

(1) मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना :–

(अ) योजना का प्रावधान :–

(i) योजना का नाम मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना, 2010 होगा।

(ii) योजना के अंतर्गत 10,000 सिलाई मशीन प्रतिवर्ष प्रदेश के पंजीकृत महिला निर्माणी श्रमिकों को प्रदाय किया जावेगा।

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता :–

(i) यह योजना निर्माणी महिला श्रमिक जो प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत हो, प्रदाय किया जावेगा।

(ii) पंजीकृत महिला श्रमिक की आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष आयु समूह की हो।

(iii) मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना का लाभ न लिया हो।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रकिया :–

(i) आवेदिका के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर।

(ii) आवेदन में पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवष्यक है।

(iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय में जमा किया जावे।

स्वीकृति का अधिकार :–

(i) पात्रता की जांच उपरांत क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के उप संचालक/सहायक संचालक/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदन अनुशंसा सहित स्वीकृत हेतु मण्डल को प्रेषित किया जावेगा।

(ii) सभी आवेदनों की स्वीकृति का अधिकार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के सचिव का होगा।

(ई) अन्य विवरण :–

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर मण्डल के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

टीपः– यह अधिसूचना दिनांक 01.10.2010 भूतलक्षीय प्रभाव से लागू होगा।
(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल रायपुर

पृष्ठांकन क्र0/2012/5138
रायपुर दिनांक 27/11/12

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी ....
7. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ....
8. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सचिव)
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल रायपुर